कार्यालय, प्राचार्य
शासकीय महामाया महाविद्यालय
रतनपुर -- 495442
जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

Special College Code - 2812

Website: www.gmcratanpur.ac.in; Tel: 07753255490; Mob; 8962311524
Email: gmc_ratanpur@rediffmail.com

//महाविद्यालय कैंटिन संचालन हेतु सूचना//

दिनांक 28/10/2025

पूर्व वर्षो की भांति सत्र 2025–26 में छात्र–छात्राओं के लिये महाविद्यालय में कैंटिन संचालित होना है। कैंटिन संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म महाविद्यालयीन शर्तो के अधीन कैंटिन में बनाये जाने वाले खाद्य सामग्री (संलग्न सूची) के विक्रय की प्रस्तावित दर सील बंद लिफाफे में कार्यालयीन समय में दिनांक ~~05/10/2025~~ 05/11/2025 सांय 05:30 बजे तक महाविद्यालय कार्यलय में जमा करें।

प्राप्त भाव पत्रों के अवलोकन पश्चात इस संबंध में महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जा कर संबंधित को सूचित किया जायेगा।

संलग्न :–

01. कैंटिन संचालन हेतु शर्ते।
02. खाद्य सामग्री की मात्रा सहित सूची।

28.10.25

(डॉ. जितेन्द्र मिश्रा)
संयोजक कैंटिन समिति

(डॉ.डी.डी. काश्यप)
Principal
Govt. Mahamaya College, Ratanpur
Distt.-Bilaspur (C.G.)

प्रतिलिपिः–

01. महाविद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
02. महाविद्यालय के वेब साईट में अपलोड हेतु।
03. कार्यालयीन प्रति।

(डॉ. जितेन्द्र मिश्रा)
संयोजक कैंटिन समिति

(डॉ.डी.डी. काश्यप)
प्राचार्य

कार्यालय, प्राचार्य
शासकीय महामाया महाविद्यालय
रतनपुर – 495442
जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

Special College Code - 2812

Website: www.gmcratanpur.ac.in; Mob; 7952107107
Email: gmc_ratanpur@rediffmail.com; pri-mratanpur.cg@gov.in;col-mratanpur.cg@gov.in

//कैंटिंन संचालन हेतु शर्ते//

दिनांक 28/10/2025

01. कैंटिन समय प्रतिदिन कार्य दिवस पर प्रातः 10:30 बजे से 05:30 बजे सांय तक होगी।
02. खाद्य सामग्री की दर निविदा के अनुरूप होगी।
03. कैंटिन में बाहरी लोगों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा।
04. तम्बाखू युक्त किसी भी मादक पदार्थो का सेवन/बिक्री पूर्णतः प्रतिवंधित होगा।
05. बाल मजदूर से कार्य लेना वर्जित होगा।
06. खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता स्तरीय होना चाहिए।
07. स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
08. प्लास्टिक/पन्नी का उपयोग पूर्णतः वर्जित होगा।
09. महाविद्यालय की सामग्री उपयोग में लाने हेतु उसे कार्यालय से अनुमति लेकर निर्गमित कराना होगा एवं छोड़ने पर लौटाना होगा।
10. महाविद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में चाय/नास्ता आदि रियायती दरों पर उपलब्ध कराना होगा।
11. कैंटिन के कारण महाविद्यालय का अनुशासन प्रभावित होने पर तुरंत बंद कर खाली करना होगा।
12. उक्त शर्तो के साथ 50रू. के स्टॉम्प पेपर पर तथा 3000रू. अमानत राशि जमा कर महाविद्यालय के साथ अनुबंध करना होगा। प्रतिमाह विजली, पानी, स्वच्छता के लिए 200रू. देय होगा।
13. चालू सत्र के दौरान समय से पूर्व कैंटिन का संचालन बंद करने एवं शर्तो का उल्लंघन करने पर अमानत राशि किसी भी रूप में लौटायी नहीं जायेगी।
14. **लगातार 15 दिनों तक कैंटिन का संचालन न करने की स्थिति में अनुबंध स्वमेव निरस्त माना जावेगा, एवं कैंटीन संचालन का दायित्व प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी को प्रदान किया जायेगा।**

(डॉ. जितेन्द्र मिश्रा)
संयोजक कैंटिन समिति

28.10.25
(डॉ.डी.डी. काश्यप)
Principal
Govt. Mahamaya College, Ratanpur
Distt.-Bilaspur (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य
शासकीय महामाया महाविद्यालय
रतनपुर – 495442
जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

Special College Code - 2812

Website: www.gmcratanpur.ac.in; Tel: 07753255490; Mob; 9752107107
Email: gmc_ratanpur@rediffmail.com

कैंटिन में बनाये जाने वाले खाद्‌य सामग्री की सूची एवं मात्रा

दिनांक 28 / 10 / 2025

01.	समोसा	–	75 ग्राम
02.	बड़ा / प्याजी	–	75 ग्राम
03.	आलू बड़ा	–	75 ग्राम
04.	भजीया / पकौड़ा	–	100 ग्राम
05.	मंगौड़ी	–	100 ग्रम
06.	इडली	–	75 ग्राम
07.	दोसा	–	125 ग्राम
08.	खाना (लंच)	–	04 रोटी, 100 ग्राम चावल, दो सब्जी, सलाद, पापड़, अचार
09.	चाय	–	75 एम.एल.
10.	कॉफी	–	75 एम.एल.
11.	पैक्ड खाद्‌य सामग्री एवं कोल्डड्रिंक्स (एम.आर.पी. पर देय)		

(डॉ. जितेन्द्र मिश्रा)
संयोजक कैंटिन समिति

28.10.25
(डॉ.डी.डी. काश्यप)
प्राचार्य
Principal
Govt. Mahamaya College, Ratanpur
Distt.-Bilaspur (C.G.)